

कार्य

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **अशोक कुमार शुक्ला, मा.पु.कर्म** वर्तमान पद **जिला अध्यापक (आधि.कार्य)**
 2. प्रथम नियुक्ति के समय आगत सम्पत्ति का विवरण, वर्ष **२० 2019-20**
 3. वर्तमान वेतन **12,24,300/-** आती वेतनवृद्धि की तारीख **01.07.2020** (अधि. कार्यपालन योजना)

वस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा न्यौ		भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलावने कि वह किसके नाम पर पारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उस किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा न्यौ	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्त
	(1)	(2)						
इन्दौर (मा.पु.)	रुद्र प्लॉट ग्राम लख 883 बंगला रुद्र विद्यापीठ 101 पूजा अण्डा 34 चेंडर सिंघानि डाली न इन्दौर (मा.पु.)	-		रु. 15,000 आय	आय नहीं	स्वयं का दि. 7.12.1998 डॉ. रु. 2,00,000 मारबुं LIC से (बीन 144) अर्जित (अन्यतः 3000 अर्जन हुआ गया)	निरंक	-
इन्दौर (मा.पु.)	-	1500	रु. 15,000 आय	अज्ञानी जना शुभला संलग्न-पारि	स्वयं का दि. 25.2.2010 डॉ. रु. 06,97,000 से (अन्य की कृपा नया आय स्रोतों की आय से)	निरंक		

* वहां लागू न हो काट दी जाए।
 ** ऐसे मामले में वहां मूल्य का शही-शही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 दिव्यांगी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पारती नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार शहीने की अवधि के पर्याय यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वाभाविक ही तथा उक्त कृपा अर्जित प्रदान करें तैयार करें हैं कि वे या उसके अवधि गार पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक या उनके द्वारा धारित सम्पत्ति अथवा सम्पत्ति के बंधों हैं।

राज्यसूची-2
 असेसापवि-14-2-2001-5,000.

रस्ता भर
 नाम **अशोक कुमार शुक्ला**
 पद **जिला अध्यापक (आधि.कार्य)**
 निवास **मा.पु. उज्जैन विकास निगम सि. 0**

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय आचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

2. वर्तमान धारित पद

3. वर्तमान वेतन

श्री. अशोक कुमार

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यो		भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिगत किया गया **वर्ती, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिगत की तारीख और जिससे अधिगत की गई हो उसका नाम तथा व्यो	संपत्ति से वार्षिक आय	अभिप्राय
	गृह तथा अन्य भवन	संपत्ति का नाम तथा व्यो						
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		30'x50 अधुयार 42 मीटर गार स्टोर शान	-	40,00,000	-	वर्ती पत्र द्वारा अधुयार टॉल्डर कार्ड अधुयार शान अधुयार में इनके infor, land T. no 15/16 अर्थात् अधुयार शान	शान	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अलपकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) विधाय, 1959 के विधाय 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार प्रत्येक श्रेणी की अवधि के पर्याय यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वाक्षरों की-तथा उसके द्वारा अधिगत भूदा उक्त विवरण में मिली या उसके अधिगत नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या स्टोर धारित समस्त भूदा संपत्ति के व्यो दें।
 शाकेसूची-2. अंतरसंपत्ति-14-2-2001-5,000.

हस्ताक्षर
 नाम श्री. अशोक कुमार
 पद श्री. अशोक कुमार
 विभाग श्री. अशोक कुमार

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०१९

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है: **वैद्य प्रकाश पांडेय**
 2. वर्तमान धारित पद: **सहायक**
 3. वर्तमान वेतन: **₹ 58,500 + ₹ 4,300** अगली वेतनवृद्धि की तारीख: **1.7.2020**

(1) उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा न्यौरे		(3) भूमि	(4) **वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	(6) उसे किस प्रकार अधिगत किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, धेड़ या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिगत की तारीख और जिससे अधिगत की गई हो उसका नाम तथा न्यौरे	(7) संपत्ति से वार्षिक आय	(8) अधिभूतिका
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						
B-2711, बीजा नगर इंदौर (म.प्र.)	गृह	20x140 वर्ग फिट		25.00 लाख	स्वयं	वर्ष 1999 में स्वयं की तब से 2005 स्थानिका गृह निगम सहकारी संघ पर अधिगत किया गया	NIL	

जहां लागू न हो कार दीजिए।
 ** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सर्वे-सर्वे निष्पत्त काला संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अत्यन्तकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रवृत्ति नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार नौकरा-पत्र पर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वाधिनत्व की तथा उसके द्वारा अधिगत भवना उक्त विवरणों में लिखी जाए उसके अन्तर्गत नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या गृहों द्वारा अधिगत समस्त भवना संपत्ति के ब्यौरे हैं।

शाकेसुभो-2 अससंपत्ति-14-2-2001-5,000

रस्ताकर: **Shankar**
 नाम: **वैद्य प्रकाश पांडेय**
 पद: **सहायक**
 विभाग: **क.उ. नंगा विकास स.स. इंदौर**

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अबल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०१९

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है : ७११००७ - असद बिहार

2. वर्तमान धारित पर : ७१:०७:२०२०

3. वर्तमान वेतन : 77900.15400. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : ०१.०७.२०२०

अधिकारी

उस विले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित है।	संपत्ति का नाम तथा व्यौर		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिगत किया गया **खरीद, प्रदा, वंशक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिगत की तारीख और जिससे अधिगत की गई है उसका नाम तथा व्यौर	संपत्ति से वार्षिक आय	अधिभूतिक
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
मुदाका नगर कानपुर	भवन	-	15.00 लाख (सि.प.प.स.)	-	पिता द्वारा विश्राम से प्राप्त, वर्ष 2004 के स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया से दोन लेनकर कुल निर्माण किया गया।	NIL	NIL

जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन परदे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवक) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अर्थात् प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रवेशी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक वर्ष प्रत्येक वर्ष जोषण-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उनके द्वारा अधिगत भवनों की विवरण से मिली या उसके अर्थात् नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर परदे में बंधक या गिरफ्तार भवनों द्वारा अधिगत भवनों के विवरण से मिली है।

शाकेसुभो-2 अससहायि-14-2-2001-5,000.

हस्ताक्षर : *[Signature]*

नाम : असद बिहार
 पद : सिके लिफ

विभाग : स.उ. कर्जा विकास नि. नि. ईदर